न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।

उपस्थित– मँजु सिंह मुंडे, (उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा)

फौजदारी वाद संख्या–488 / 2022

CNR no. UKBA020005432022

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 02 / 2022

धारा–323,504,506 भा0दं0सं0

थाना कपकोट।

जिला बागेश्वर।

शिकायतकर्ता (Complainant)	उत्तराखण्ड राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा (Represented by)	श्री मोहन राम आर्या, विद्वान नामिका अधिवक्ता
अभियुक्त (Accused)	**हरीश चन्द्र सिह बिष्ट पुत्र मान सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम कपकोट, थाना कपकोट, जिला बागेश्वर।**
प्रतिनिधित्व द्वारा (Represented by)	विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिह कोरंगा

अपराध की तिथि (Date of Offence)	31.12.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि (Date of FIR)	01.1.2022
आरोप पत्र की तिथि (Date of Chargesheet)	14.06.2022
आरोप विरचित किये जाने की तिथि (Date of Framing of Charge)	05.08.2022
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि (Date of commencement of evidence)	05.08.2022
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की तिथि (Date on which judgment is reserved)	27.08.2022
निर्णय की तिथि (Date of the Judgment)	**02.09.2022**
सजा की तिथि, यदि कोई हो तो (Date of the Sentencing Order, if any)	.....

2. अभियुक्त का विवरण (Accused Details) -

अभि	अभियुक्त का	गिरफ्तार किये	जमानत पर	आरोपित	क्या	अधिरोि	अन्वेषण, जांच

ायुक्त की श्रेणी (Rank of the Accused)	नाम (Name of the Accused)	जाने की तिथि (Date of Arrest)	निर्मुक्त किये जाने की तिथि (Date of Release on Bail)	अपराध (Offences charged with)	दोषमुक्त किया गया है या दोषसिद्ध किया गया है ? (Whether Acquitted or convicted)	पत दण्ड (Sentence Imposed)	तथा विचारण की अवधि में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन हेतु अभियुक्त द्वारा कारागार में व्यतीत की गयी अवधि। (Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428 of Cr.PC)
1.	**हरीश चन्द्र सिह बिष्ट**	41 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता का नोटिस	02.07.2022	323,504, 506, भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त		

निर्णय

दिनांक–02.09.2022

थाना कपकोट, जिला बागेश्वर के विवेचक द्वारा **अभियुक्त हरीश चन्द्र सिंह बिष्ट** के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत **धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860** के वास्ते विचारण न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, कल दिनांक 31. 12.2021 को प्रार्थी विरेन्द्र पटेल पुत्र दुखी पटेल, निवासी बिहार, हाल निवासी बैण्ड बाजार कपकोट, का निवासी हूॅ। रमेश तिरूवा दुकानदार के दुकान में करीब 6.00 बजे सायंकाल अपना सामान खरीदने के लिए आया था। प्रार्थी द्वारा अपना दुकान का सामान खरीदकर दुकान के बाहर से खड़ा था इतने में हरीश चंद्र पुत्र मान सिंह, ग्राम कपकोट, वाले द्वारा बेवजह मेरे को लात घूसे से हमला कर दिया तथा मॉ बहिन की गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने लगा लात व घूसे से मेरे नाक मुंह जॉघ व पेट में मार दिया है। मुझे गम्भीर रूप से घायल कर दिया। मुझे बुरी तरह जख्मी करके उक्त हरीश चन्द्र बिष्ट सीधे चला गया कि प्रार्थी मेहनती कार्य से अपने बच्चो को पालता है कि उक्त हरीश चन्द्र बिष्ट से मुझे अपने जान व माल का खतरा बन गया

है। उक्त व्यक्ति मेरी हत्या कर सकता है। क्योकि प्रार्थी बाहरी व्यक्ति है। यहॉ पर मेरा कोई भी संरक्षण नहीं है।

3. उक्त आशय की तहरीर पर थाना कपकोट, जिला बागेश्वर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध एफ0 आई0 आर0 सं0 02/2022 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर, विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचक द्वारा अभियुक्त को धारा 41(क) द0प्र0सं0 का नोटिस दिया गया है। बाद विवेचना, विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 में आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, तथा न्यायालय द्वारा उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया। अभियुक्त को वास्ते विचारण न्यायालय तलब किया गया।

4. अभियुक्त न्यायालय उपस्थित होकर अपनी विधिवत जमानत करवायी गयी। उन्हें धारा 207 दं0 प्र0 सं0, 1973 के अनुपालन में मामले से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्रों की प्रतियाँ प्रदान की गयी।

5. दिनांक 05.08.2022 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। जिसे अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। जिसका अभिवाक् करने से अभियुक्तगण द्वारा इन्कार किया गया तथा विचारण की मॉग की गई।

6. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में **पी0 डब्लू0–1 वादी मुकदमा/ साक्षी विरेन्द्र पटेल** को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, और अन्य कोई साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं कराया गया है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में तहरीर Exhibit P-1/PW-1,को साबित किया गया है और अन्य अभियोजन दस्तावेज, निरीक्षण घटनास्थल Exhibit P-2/PW-, मेडिकल Exhibit P-3/PW-,मेडिकल पर्ची Exhibit P-4/PW-, नोटिस अं0/धारा 41(क) दं0प्र0सं0 Exhibit P-5/PW-, जी0डी0 सं0 34 दिनांक 01.01.2022 Exhibit P-6/PW-, प्रथम सूचना रिपोर्ट Exhibit P-7/PW-, आरोप पत्र Exhibit P-8/PW-, अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता को स्वीकार किया गया है।

7. तत्पश्चात् अभियोजन साक्ष्य समाप्त किए जाने के उपरान्त दिनांक 26.08.2022 को अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अंकित की गयी। अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत होना बताते हुए सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया गया तथा कहा गया है कि वह निर्दोष है।

8. मैंने राज्य की ओर से विद्वान नामिका अधिवक्ता **श्री मोहन राम आर्या** तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता **श्री नरेन्द्र सिह कोरंगा** को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

9. जहॉ तक अभियुक्त के विरूद्ध प्रश्नगत दिनांक 31.12.2021 को समय लगभग 18.00 बजे स्थान रमेश तिरूवा की दुकान, कपकोट, बागेश्वर में उसके साथ मारपीट करना, गाली गलौच करना तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप का प्रश्न है।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से पी0डब्लू0–1 विरेन्द्र पटेल को बतौर साक्षी प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। **साक्षी** पी0डब्लू0–1 विरेन्द्र पटेल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह वर्ष 2021 में मेहनत मजदूरी करने के लिए कपकोट आया था। वह कपकोट में लोगो के घरो में राजमिस्त्री का काम करता है। दिनां 31.12.2021 को तहसील तिराहे पर उसे व उसके साथी अमजद राय को कपकोट के हरीश चन्द्र सिंह बिष्ट मिले और वह कहने लगे कि तुम लोग काम में क्यो नही आ रहे हो। तब उसने कहा कि हमारा काम अभी दूसरी जगह चल रहा है। और आपकी तरफ हमारा हिसाब भी है, आप हमारा हिसाब दे दो। इस बात को लेकर हरीश सिह से उसकी कहासुनी हो गयी। साक्षी ने रिपोर्ट का0सं0 3क/4 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। जिस पर ExhibitP-1/P.W.1 डाला गया। साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोज पक्ष द्वारा साक्षी जिरह की गयी। साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि पुलिस द्वारा उससे कोई पूछताछ नहीं की गयी और न ही पुलिस उसे घटनास्थल पर ले गयी। उसी दिन वह अपने कमरे को रात को जा रहा था, उसे खेत में

गिरने से चोट आयी। हरीश चन्द्र सिंह से जो उसकी कहासुनी हुई थी उस पर उसका राजीनामा हो गया था।

11. साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी। साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि अभियुक्त हरीश चन्द्र सिह बिष्ट ने उसके साथ कोई मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। उसने तहरीर में मात्र हस्ताक्षर किए थे। वह उसे पढ़ा नहीं था। उक्त तहरीर में क्या बाते लिखी हैं वह नहीं बता सकता।

12. साक्षी पी0डब्लू0–1 बिरेन्द्र पटेल के साक्ष्य से स्पष्ट है कि दिनांक 31.12.2021 को तहसील तिराहे पर अभियुक्त हरीश चन्द्र सिंह बिष्ट उसे व उसके साथ अमजद रॉय को मिला, साक्षी मेहनत मजदूरी का कार्य करता है। कार्य के एवज में उसका हिसाब अभियुक्त पर शेष था, जिसे मॉगने के सम्बन्ध में उनकी आपस में कहासुनी हुई थी। अभियुक्त द्वारा साक्षी के साथ मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी नही दी गयी है। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध मारपीट करना, गाली गलौच करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा द्वारा मात्र कहासुनी होने का कथन किया गया है तथा अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की मारपीट करना, गाली गलौच करना तथा जान से मारने की धमकी देने के कथन से इन्कार किया गया है। अतः अभियोजन अभियुक्त हरीश चन्द्र सिंह विष्ट के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप को साबित करने में असमर्थ रहा है।

13. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध सन्देह से परे साबित करना होगा अन्यथा संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में **अभियुक्त हरीश चन्द्र सिह बिष्ट के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त हरीश चन्द्र सिह बिष्ट को धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त का व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त कर, उसके जामिनान को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा अन्तर्गत धारा 437ए दं0प्र0सं0 का अनुपालन किया गया है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—02.09.2022

(मँजु सिंह मुण्डे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बागेश्वर।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः—02.09.2022

(मँजु सिंह मुण्डे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बागेश्वर।

APPENDIX OF EVIDENCE

(List of prosecution/Defence/Court Witnesses)
(Annexure 1)

क. अभियोजन (Prosecution) :

श्रेणी (Rank)	नाम (Name)	साक्ष्य की प्रकृति (Nature of Evidence)
पी0डब्लू0–1	विरेन्द्र पटेल	वादी मुकदमा / साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षीगण, यदि हों (Defence Witnesses, if any) :

श्रेणी (Rank)	नाम (Name)	साक्ष्य की प्रकृति (Nature of Evidence)

ग. न्यायालय साक्षीगण, यदि हों (Court Witnesses, if any) :

श्रेणी (Rank)	नाम (Name)	साक्ष्य की प्रकृति (Nature of Evidence)

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय प्रदर्शों की सूची –
(List of prosecution/Defence/Court Exhibits)
(Annexure 2)

क. अभियोजन प्रदर्श (Prosecution Exhibits) :

क्रम संख्या (Sl. No.)	प्रदर्श की संख्या (Exhibit Number)	विवरण (Description)
1.	Exhibit P-1/PW-1	तहरीर
2.	Exhibit P-2/PW-,	घटनास्थल नक्शा नजरी
3.	Exhibit P-3/PW-,	मेडिकल
4.	Exhibit P-4/PW-,	मेडिकल पर्ची
5.	Exhibit P-5/PW-	नोटिस अं0 / धारा 41(क) दं0प्र0सं0
6.	Exhibit P-6/PW-,	जी0डी0 सं0 34 दिनांक 01.01.2022
7.	Exhibit P-7/PW-,	प्रथम सूचना रिपोर्ट
8.	Exhibit P-8/PW-,	आरोप पत्र

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्श (Defence Exhibits) :

क्रम संख्या (Sl. No.)	प्रदर्श की संख्या (Exhibit Number)	विवरण (Description)

ग. न्यायालय प्रदर्श (Court Exhibits) :

क्रम संख्या (Sl.No.)	प्रदर्श की संख्या (Exhibit Number)	विवरण (Description)

घ. भौतिक वस्तु/वस्तुयें (Material Objects) :

क्रम संख्या (Sl. No.)	भौतिक वस्तु की संख्या (Material Object Number)	विवरण (Description)
1.		

(मँजु सिंह मुंडे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागेश्वर।